



एलआईसी का जीवन लाभ LIC's JEEVAN LABH

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)



Limited Premium Endowment Plan
Plan No.: 836 UIN No.: 512N304V01

भाग - अ (जारी) / PART - A (Contd...)

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे यहां बाद में "निगम" कहा गया है) यहां नीचे संदर्भित अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तावक तथा बीमित व्यक्ति से प्रस्ताव तथा घोषणापत्र और पहले प्रीमियम की प्राप्ति हुई है और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा पत्र पर, उसमें निहित तथा उल्लिखित वक्तव्यों सहित, उक्त प्रस्तावक और निगम के बीच इस बीमे के आधार के रूप में सहमति हो गयी है। अतः निगम इस पॉलिसी द्वारा करार करता है कि अनुसूची में निर्धारित परवर्ती प्रीमियमों की विधिवत प्राप्ति होने पर और उसके प्रतिफल स्वरूप बीमा राशि का भुगतान बिना किसी ब्याज के, निगम और निगम के शाखा कार्यालय में, जहां इस पॉलिसी के लिए सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें वह उक्त अनुसूची की शर्तों के अनुसार देय हो, निगम को इस बात का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर करेगा कि अनुसूची के शर्तों के अनुसार हितलाम देय हो गए हैं और उसका दावा करने वाला/वाले उक्त व्यक्ति उसका/उसके हकदार है और प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की उम्र सही है यदि पहले से स्वीकृत न हो।

और एतद्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि यह बीमा पॉलिसी इसके पीछे की तरफ छपी परिभाषाओं, हितलामों, सेवा प्रदान करने से संबंधित शर्तों, अन्य नियमों और शर्तों तथा वैधानिक प्रावधानों और निम्नलिखित अनुसूची तथा निगम द्वारा लगाए गए प्रत्येक पृष्ठ/कन जिसे पॉलिसी का अंग माना जाएगा, के विषयाधीन होगी।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in the Policy Document, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

मण्डल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE:		तालिका / SCHEDULE		शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE:		
पॉलिसी सं.: Policy No.:	मूल बीमा राशि (₹): Basic Sum Assured (₹):	प्रीमियम भुगतान की देय तिथि: Due date of premium:	प्रीमियम के भुगतान का माध्यम: Mode of payment of premium:	मूल पॉलिसी के लिए अंतिम प्रीमियम की देय तिथि: Due Date of Payment of Last premium for Base Policy:	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of birth of the Life Assured:	
पॉलिसी की आरंभ तिथि: Date of Commencement of Policy:	मूल पॉलिसी के लिए प्रीमियम की किस्त (₹): Instalment Premium for Base Policy (₹):	प्रीमियम के भुगतान का माध्यम: Mode of payment of premium:	मूल पॉलिसी के लिए अंतिम प्रीमियम की देय तिथि: Due Date of Payment of Last premium for Base Policy:	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of birth of the Life Assured:	बीमित व्यक्ति की उम्र: Age of the Life Assured:	
जोखिम के आरंभ होने की तिथि: Date of Commencement of Risk:	कुल किस्त प्रीमियम (₹): Total Instalment Premium (₹):	मूल पॉलिसी के लिए अंतिम प्रीमियम की देय तिथि: Due Date of Payment of Last premium for Base Policy:	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of birth of the Life Assured:	बीमित व्यक्ति की उम्र: Age of the Life Assured:	क्या उम्र स्वीकृत है? Whether age Admitted?	
प्लान तथा पॉलिसी की अवधि: Plan & Policy Term:	(सेवा कर तथा/या समय-समय पर लागू अन्य कर अतिरिक्त लिए जाएंगे) (Service tax and / or any other Tax as applicable from time to time is charged extra.)	मूल पॉलिसी के लिए अंतिम प्रीमियम की देय तिथि: Due Date of Payment of Last premium for Base Policy:	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of birth of the Life Assured:	बीमित व्यक्ति की उम्र: Age of the Life Assured:	क्या उम्र स्वीकृत है? Whether age Admitted?	
प्रीमियम भुगतान अवधि: Premium Paying Term:		मूल पॉलिसी के लिए अंतिम प्रीमियम की देय तिथि: Due Date of Payment of Last premium for Base Policy:	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of birth of the Life Assured:	बीमित व्यक्ति की उम्र: Age of the Life Assured:	क्या उम्र स्वीकृत है? Whether age Admitted?	
परिपक्वता तिथि: Date of Maturity:		मूल पॉलिसी के लिए अंतिम प्रीमियम की देय तिथि: Due Date of Payment of Last premium for Base Policy:	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of birth of the Life Assured:	बीमित व्यक्ति की उम्र: Age of the Life Assured:	क्या उम्र स्वीकृत है? Whether age Admitted?	
क्रम सं./ Sr. No.	चुना गया राइडर Rider Opted	यूआईएन/ UIN	राइडर बीमा राशि/ Rider Sum Assured	राइडर के लिए किस्त प्रीमियम / Instalment Premium for Rider	राइडर के लिए अंतिम प्रीमियम के भुगतान की देय तिथि / Due date of payment of last premium for Rider	राइडर की समाप्ति की तिथि/ Date of rider termination
1						
2						

नोट: भाग स (हितलाम) की शर्त 4 के अंतर्गत उल्लेख किए गए राइडर की शर्तें केवल तभी लागू होंगी अगर इस राइडर को चुना गया हो। Note: Conditions of the rider(s) mentioned under Condition no. 4 of Part C (Benefits) shall only apply if the above mentioned riders have been opted for.

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति का नाम /
Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938:
यदि नामित अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम:
If nominee is a minor, name of the Appointee:

प्रस्ताव सं.: / Proposal No.:	प्रस्ताव की तिथि: / Date of Proposal:	हितलाम चित्रण संदर्भ सं.: / Benefit Illustration Reference No.:
प्रस्तावक का नाम और पता: / Name and address of Proposer:		बीमित व्यक्ति का नाम और पता: / Name and address of Life Assured:

लाभार्थी, हितलाम जिसे देय है Beneficiary to whom Benefits payable	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अंतर्गत प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसके समनुदेशित को या बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित या प्रमाणित निष्पादकों या प्रशासकों या अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों को जिन्होंने उसकी सम्पदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि मात्र के लिए भारत संघ के किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी न्यायालय, जो भी लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया होगा। The proposer or the Life Assured or his Assignee under Section 38 of Insurance Act, 1938 or Nominees under Section 39 of Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.
प्रीमियम किस अवधि तक देय Period during which premiums payable	अंतिम प्रीमियम के भुगतान की देय तिथि या बीमित व्यक्ति की उससे पूर्व मृत्यु होने तक Till the stipulated due date of payment of last premium or earlier death of the Life Assured.
प्रीमियम देय होने की तिथि Dates when premium payable	निर्धारित देय तिथि को On the stipulated due date in

निगम के लिए उपरोक्त शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी पत्राचार भेजे जाने चाहिए।
Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक / Date:

जांचकर्ता / Examined by:

फॉर्म नं. / Form No.:

कुले बरिस्ट/मुख्य/शाखा प्रबंधक
p. Chief/ Sr./ Branch Manager

एजेन्सी कोड Agency Code	एजेन्ट का नाम Agent Name	एजेन्ट का मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर Agent's Mobile Number/Landline Number



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

नोट: अगर आपकी कोई शिकायत/समस्या, हो तो आप शिकायत समाधान अधिकारी/लोकपाल से सम्पर्क पर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है:

NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता: / Address of Branch Office:

शिकायत समाधान अधिकारी का पता:
Address of Grievance Redressal Officer:

बीमा लोकपाल का पता:
Address of Insurance Ombudsman:

नोट: इन नियमों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें तथा इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुरन्त हमें लौटाएं

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

आई आर डी ए आई पंजीकरण संख्या : 512
IRDAI Regn. No.: 512

भाग-ब: परिभाषाएं

पॉलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों/शब्दावली की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

- उम्र** का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होते समय बीमित व्यक्ति के नजदीकी जन्मदिन से है सिवाय 8 वर्ष की उम्र के लिए, जहां उम्र पूर्ण वर्षों में है।
- नियुक्त-व्यक्ति (एगेंड्री)** वह व्यक्ति है जिसे पॉलिसी के अंतर्गत दावे के भुगतान की तिथि को नामित के नाबालिग होने तथा उसे दावे की राशि देय होने पर वह सुरक्षित राशि/हितलाम देय होती है।
- वार्षिकीकृत प्रीमियम** एक पॉलिसी वर्ष में कुल देय प्रीमियम राशि है। जो कि बीमालेखन निर्णयों तथा राइडर प्रीमियमों, अगर कोई हो के कारण ली जानेवाली किसी अतिरिक्त राशि के अलावा है।
- समनुदेशिती** वह व्यक्ति है जिसे समनुदेशन के फलस्वरूप पॉलिसी के अधिकार तथा हितलाम हस्तांतरित किए जाते हैं।
- समनुदेशन** बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत "समनुदेशिती" के पक्ष में पॉलिसी के अधिकारों तथा हितलामों के स्थानान्तरित होने की प्रक्रिया है।
- मूल पॉलिसी** यह पॉलिसी का वह हिस्सा होता है जो मूल हितलामों का उल्लेख करता है (इस पॉलिसी कागजात में उल्लिखित लामों में राइडर (सं) के अंतर्गत अगर चुने गए हों, लामों का समावेश नहीं होता है।)
- लाभार्थी** का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलामों को प्राप्त करने का पात्र है। लाभार्थी, प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसका समनुदेशिती या नामित व्यक्ति या प्रमाणित निष्पादक या प्रशासक या कोई अन्य वैधानिक प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, हो सकता है।
- निगम** का अर्थ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम से है।
- पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि** का अर्थ इस पॉलिसी के शुरू होने की तिथि है।
- जोखिम के आरंभ होने की तिथि** वह तिथि है जब निगम बीमा हेतु पॉलिसी की तालिका के अनुसार जोखिम (संरक्षण) को स्वीकार कर लेता है।
- परिपक्वता की तिथि** का अर्थ वह निश्चित तिथि है जब हितलाम पूर्णतः या आकस्मिक रूप से देय होता है।
- निहित होने की तिथि** वह तिथि जब पॉलिसी के हितलाम पाने के लिए बीमित व्यक्ति हकदार होता है जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- मृत्यु पर मिलने वाली रकम** का अर्थ करार के आरंभ के समय सहमत हितलाम से है, जो कि इस पॉलिसी दस्तावेज के "भाग स" की शर्त 2 में विनिर्धारित बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में देय है।
- डिस्चार्ज फॉर्म** पॉलिसीधारक/दावेदार द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत/परिपक्वता/अभ्यर्पण/मृत्यु पर प्राप्त होने वाले हितलाम का दावा करने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म है।
- देय तिथि** का अर्थ वह निर्धारित तिथि है जब प्रीमियम देय तथा पॉलिसीधारक द्वारा भुगतान योग्य हों।
- पृष्ठांकन** से अर्थ निगम द्वारा किन्हीं सहमत या जारी संशोधनों या परिवर्तनों को इस पॉलिसी में शामिल करने के लिए संलग्न/जोड़ी गई शर्तों से है।
- अंतिम अतिरिक्त बोनस**, जिसे टर्मिनल (समाप्ति) बोनस भी कहा जाता है, पॉलिसी की समाप्ति पर, हितलामों के साथ देय अतिरिक्त राशि है, अगर लागू हो।
- पूर्व समाप्ति** बकाया ऋण या लोन पर ब्याज को देय तिथि तक न चुकाने पर पॉलिसी की पूर्व-समाप्ति की क्रिया है।
- फ्री लुक पीरियड** पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि इस पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों की समीक्षा करने के लिए है, और अगर पॉलिसीधारक उन नियमों तथा शर्तों में से किसी से असहमत हो, तो उसके पास इस पॉलिसी को लौटाने का विकल्प है।
- रियायती अवधि** यह प्रीमियम की देय तिथि से बीमाकर्ता द्वारा दिया गया भुगतान हेतु वह समय है जिसके दौरान बिना किसी जुर्माने/विलम्ब शुल्क के भुगतान किया जा सकता है तथा पॉलिसी का जोखिम संरक्षण के साथ प्रभावी माना जाता है तथा पॉलिसी की अवधि में कोई व्यवधान नहीं आता है।
- गारंटीड सरेंडर मूल्य** पॉलिसी के सरेंडर किए जाने पर पॉलिसीधारक को अदा किए जाने वाले सरेंडर मूल्य की न्यूनतम गारंटीड राशि है।
- पूर्णतः प्रभावी** का अर्थ यह है कि पॉलिसी के अंतर्गत सभी देय प्रीमियमस का देय तिथि से पहले या रियायती अवधि में भुगतान कर दिया गया है।
- आईआरडीएआई** का अर्थ है इंश्योरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेन्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले इसे इंश्योरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (आईआरडीए) कहा जाता था।
- कालातीत (लेप्स)** पॉलिसी की वह दशा है जब रियायती अवधि के दौरान देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है।
- बीमित व्यक्ति** वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर बीमा संरक्षण लिया गया है।
- ऋण** निगम द्वारा पॉलिसीधारक को पॉलिसी पर देय सरेंडर मूल्य पर प्रदान की गयी व्याजयुक्त राशि है।
- परिपक्वता हितलाम** का अर्थ वह हितलाम है जो कि परिपक्वता अर्थात् इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 1 पर उल्लिखित पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर देय है, अगर बीमित व्यक्ति पॉलिसी की परिपक्वता की तिथि तक जीवित रहता है।
- महत्वपूर्ण जानकारी** वह जानकारी है जो कि पॉलिसी प्राप्त करते समय बीमित व्यक्ति को पहले से ज्ञात थी, जिसका प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बीमालेखन पर प्रभाव होता है।
- अवयस्क या नाबालिग** वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो।
- नामांकन** किसी व्यक्ति को "नामित" करने के लिए प्रस्ताव प्रपत्र में या बाद में पृष्ठांकन द्वारा शामिल करने/बदलने की प्रक्रिया है। नामांकन, समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए।
- नामित** वह व्यक्ति है जो बीमित व्यक्ति की पॉलिसी की परिपक्वता से पूर्व मृत्यु की दशा में पॉलिसी की राशि को मान्य रूप से उन्मोचित (डिस्चार्ज) करने का अधिकार रखता है।

PART – B: DEFINITIONS

The definitions of terms/words used in the policy documents are as under:

- Age** is the age nearest birthday of the Life Assured at the time of the commencement of the policy except for age 8 years for which the age is in completed years.
- Appointee** is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
- Annualized Premium** is the total amount of premium payable in a policy year excluding extra amount if charged under the policy due to underwriting decisions and rider premiums, if any.
- Assignee** is the person to whom the rights and benefits are transferred by virtue of an Assignment.
- Assignment** is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee". Assignment should be in accordance with the provisions of section 38 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
- Base Policy** is that part of the Policy referring to basic benefit (benefits referred to in this policy document excluding benefits covered under Rider(s), if opted for).
- Beneficiary** means the person who is entitled to receive benefits under this Policy. The Beneficiary may be proposer or Life Assured or his Assignee or Nominees or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives as the case may be.
- Corporation** means the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the LIC Act, 1956.
- Date of commencement of policy** is the start date of this Policy.
- Date of commencement of risk** is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) as evidenced in the schedule of the policy.
- Date of Maturity** means a fixed date on which benefit may become payable either absolutely or contingently.
- Date of vesting** is the date from which the Life Assured becomes entitled to the policy benefits as specified in Condition 3 of Part C of this Policy Document.
- Death Benefit** means the benefit, agreed at the inception of the contract, which is payable on death of Life Assured as specified in condition 2 of Part C of this Policy document.
- Discharge form** is the form to be filled by policyholder/claimant to claim the maturity / surrender / death benefit under the policy.
- Due Date** means a fixed date on which the policy premium is due and payable by the policyholder.
- Endorsement** means conditions attached/ affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
- Final Additional Bonus**, also called as Terminal Bonus, is an additional amount payable along with the benefits on termination of the policy, if applicable.
- Foreclosure** is an action of closing the policy due to default in payment of outstanding loan and / or loan interest on due date.
- Free Look Period** is the period of 15 days from the date of receipt of the policy document by the policyholder to review the terms and conditions of this policy and where the policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy.
- Grace period** is the time granted by the insurer from the due date for the payment of premium, without any penalty/ late fee, during which time the policy is considered to be in force with the risk cover without any interruption as per the terms of the policy.
- Guaranteed Surrender Value** is the minimum guaranteed amount of Surrender Value payable to the policyholder on surrender of the policy.
- Inforce** means all due premiums have been paid on or before the due date or within the grace period.
- IRDAI** means Insurance Regulatory and Development Authority of India earlier called as Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
- Lapse** is the status of the Policy when a due premium is not paid within the grace period.
- Life Assured** is the person on whose life the insurance cover has been accepted.
- Loan** is the interest bearing repayable amount granted by the Corporation against the surrender value payable to the policyholder.
- Maturity Benefit** means the benefit, which is payable on maturity i.e. at the end of the policy term as specified in condition 1 of Part C of this Policy Document, on life assured surviving the stipulated Date of Maturity.
- Material information** is the information already known to the Life Assured at the time of obtaining a policy which has a bearing on underwriting of the proposal /Policy submitted.
- Minor** is a person who has not completed 18 years of age.
- Nomination** is the process of nominating a person who is named as "Nominee" in the proposal form or subsequently included/ changed by an endorsement. Nomination should be in accordance with provisions of section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
- Nominee** is the person who has right to give a valid discharge to the policy monies in case of the death of the Life Assured.
- Participating** means the Policy is eligible for share of profit depending upon the Corporation's experience.

32. **प्रतिभागी** का अर्थ है निगम के अनुभव के आधार पर पॉलिसी मुनाफे में भागीदारी का पात्र है।
33. **चुकता** पॉलिसी की वह स्थिति है, कम से कम 3 पूरे वर्षों हेतु प्रीमियम्स का भुगतान अदा किया जाता है और परवर्ती प्रीमियम्स का भुगतान रियायती अवधि के दौरान नहीं किया जाता है।
34. **पॉलिसी वर्षगांठ** का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से एक वर्ष तथा उसके बाद परिपक्वता तक एक वर्ष बाद आनेवाली प्रत्येक तिथि से है।
35. **पॉलिसी/पॉलिसी दस्तावेज** का अर्थ पृष्ठांकनों, अगर कोई हों, सहित निगम द्वारा जारी वह दस्तावेज है जो कि पॉलिसीधारक तथा निगम के बीच एक वैधानिक अनुबंध होता है।
36. **पॉलिसीधारक** इस पॉलिसी का कानूनी मालिक है।
37. **पॉलिसी अवधि** वर्षों में पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से वह अवधि है, जब पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अनुसार संविदागत हितलाभ देय होते हैं।
38. **पॉलिसी वर्ष** दो लगातार पॉलिसी वर्षगांठों के बीच की अवधि है। इस अवधि में पहला वर्षगांठ का दिन शामिल है तथा अगला पॉलिसी वर्षगांठ दिन शामिल नहीं है।
39. **प्रीमियम** पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को सुरक्षित करने के लिए इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्धारित समयों पर आवधिक रूप से पॉलिसीधारक द्वारा अदा की जाने वाली संविदागत राशि है। अदा किया जाने वाला प्रीमियम होगा "कुल किस्त प्रीमियम", जिसमें शामिल होगा
- मूल पॉलिसी के लिए किस्त प्रीमियम तथा
 - राइडर के लिए किस्त प्रीमियम, अगर राइडर को चुना गया हो
- इस पॉलिसी कागजात में कहीं भी इस्तेमाल किए गए शब्द "प्रीमियम" में किन्हीं करों को शामिल नहीं किया गया है।
40. **प्रीमियम भुगतान अवधि** का अर्थ वर्षों में वह अवधि है, जिसके दौरान प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।
41. **निरन्तर बीमा योग्यता का प्रमाण** यह पॉलिसीधारक से मांगी जानेवाली जानकारी है ताकि पॉलिसी के पुनःप्रचलन का निर्णय लिया जा सके। इसमें उत्तम स्वास्थ्य की घोषणा, मेडिकल रिपोर्ट्स, विशेष रिपोर्ट्स आदि का समावेश है।
42. **प्रस्तावक** वह व्यक्ति है जो जीवन बीमा लेने का प्रस्ताव देता है।
43. **पुनः प्रचालन** का अर्थ प्रीमियम का भुगतान न किए जानेवाली पॉलिसी को, सभी देय प्रीमियम्स तथा अन्य प्रभारों/विलम्ब शुल्क, अगर कोई हो, पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अनुसार प्राप्त होने तथा पॉलिसीधारक द्वारा मौजूदा बीमालेखन दिशानिर्देशों के अनुसार पेश की गई जानकारी, कागजातों तथा रिपोर्ट्स के आधार पर बीमाधारक की निरन्तर बीमायोग्यता के बारे में संतुष्ट होने पर बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी को पॉलिसी दस्तावेज में उल्लेख किए गए समस्त हितलाभों फिर से चालू किए जाने से है।
44. **पुनः प्रचालन अवधि** इसका अर्थ पॉलिसी के अप्रभावी होने की तिथि से लगातार दो वर्षों की अवधि है, जिसे अवधि के दौरान पॉलिसीधारक पॉलिसी के पुनःप्रचालित करने का पात्र है, जिसे प्रीमियम का भुगतान न किए जाने के कारण अप्रभावी कर दिया गया हो।
45. **राइडर** इस पॉलिसी के अंतर्गत विनिर्धारित किए गए अनुसार मूल हितलाभों के साथ जोड़ा गया एक मूल्यवर्द्धित हितलाभ है।
46. **राइडर प्रीमियम** पॉलिसीधारक द्वारा, अगर राइडर चुना गया हो तो उसके अतिरिक्त संरक्षण/हितलाभ के लिए मूल प्लान के अंतर्गत देय प्रीमियम के साथ अदा किया जाने वाला प्रीमियम है।
47. **राइडर बीमा राशि** वह निश्चित रकम है जो कि राइडर के अंतर्गत संरक्षित घटना के घटित होने पर, अगर उसे चुना गया हो, देय होती है।
48. **अनुसूची** आपके पॉलिसी दस्तावेज का एक अंग है जिसमें आपकी पॉलिसी का विवरण मौजूद है।
49. **सरल प्रत्यावर्ती बोनस** "लाभ सहित" पॉलिसियों पर निगम द्वारा अतिरिक्त/लाभ के रूप में जोड़ा जाता है। निगम के अनुभव के अनुसार इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रति हजार मूल बीमा राशि पर घोषित किया जाता है।
50. **मृत्यु पर बीमा राशि** इस पॉलिसी की अवधि के दौरान मृत्यु पर देय सुनिश्चित राशि।
51. **परिपक्वता पर बीमा राशि** यह कुल राशि है जो परिपक्वता पर देय है जिसका उल्लेख इस पॉलिसी कागजात के भाग स की शर्त 1 में उल्लेख किया गया है।
52. **अभ्यर्पण** का अर्थ पूरी पॉलिसी को परिपक्वता से पहले वापस लेना/समाप्त करना है।
53. **अभ्यर्पण मूल्य** का अर्थ, वह राशि है, अगर कोई हो, जो कि इस पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों के अनुसार उसे सरेंडर करने की स्थिति में देय होती है।
54. **तालिका प्रीमियम** यह बीमित व्यक्ति की उम्र के आधार पर चुनी गई मूल बीमा राशि के लिए प्रीमियम है जिसमें किसी रिबेट या अतिरिक्त लोडिंग को शामिल नहीं किया गया है।
55. **बीमालेखन** शब्द का इस्तेमाल जोखिम आकलन की प्रक्रिया का वर्णन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा जिन जोखिमों का सामना किया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए यह आनुपतिक लागत है। बीमालेखन के आधार पर संरक्षण की स्वीकृति या अस्वीकृति तथा उपयुक्त प्रीमियम या संशोधित शर्तों को लागू किए जाने, अगर कोई हो, के संबंध में फैसला लिया जाता है।
56. **UIN** का अर्थ इस प्लान को आईआरडीए द्वारा आर्बिट्रि यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर है।
57. **निहित बोनस** यह प्रत्यावर्ती बोनस है जो घोषित किया जा चुका है तथा पॉलिसी के साथ जुड़ा रहता है।
58. **लाभ सहित पॉलिसियां** के तात्पर्य ऐसी पॉलिसियां से हैं, जो पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार पॉलिसी की अवधि के दौरान निगम को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि (मुनाफे) में भागीदारी की पात्र होती हैं।

भाग – स: हितलाभ

इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं:

- परिपक्वता हितलाभ:** बीमित व्यक्ति के परिपक्वता की निर्धारित अवधि तक जीवित

33. **Paid - Up** is the status of the Policy if the premiums are paid for at least 3 full years and subsequent premiums are not paid within the grace period.

34. **Policy Anniversary** means one year from the date of commencement of the Policy and the same date falling one year thereafter, till the date of maturity.

35. **Policy/Policy Document** means this document along with endorsements, if any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Policyholder and the Corporation.

36. **Policyholder** is the legal owner of this policy.

37. **Policy term** is the period, in years, from the Date of commencement of policy during which the contractual benefits are payable as per the terms and conditions of the policy.

38. **Policy year** is the period between two consecutive policy anniversaries. This period includes the first day and excludes the next policy anniversary day.

39. **Premium** is the contractual amount payable by the Policyholder at specified times periodically as mentioned in the schedule of this Policy Document to secure the benefits under the policy. The premium payable will be "Total Installment Premium" which includes

- Installment Premium for Base Policy and
- Installment Premium for Rider, if Rider has been opted for.

The term 'Premium' used anywhere in this Policy Document does not include any taxes.

40. **Premium paying term** means the period, in years, during which premium is payable.

41. **Proof of continued insurability** is the information sought from the policyholder to decide revival of the policy. This includes Form of declaration of Good Health, Medical Reports, Special Reports, etc.

42. **Proposer** is a person who proposes the life insurance proposal.

43. **Revival** of a policy which was discontinued due to the non-payment of premium, means restoration of the policy by the insurer as per underwriting decision, upon the receipt of all the premium due and other charges/ late fee, if any, as per the terms and conditions of the policy, upon being satisfied as to the continued insurability of the insured on the basis of the information, documents and reports furnished by the policyholder, in accordance with the then existing underwriting guidelines.

44. **Revival Period** is the period of two consecutive years from the date of discontinuance of the policy, during which period the policyholder is entitled to revive the policy which was discontinued due to the non-payment of premium.

45. **Rider** is an add-on benefit in addition to basic benefits as specified under this Policy Document.

46. **Rider Premium** is the premium payable by the Policyholder along with the premium under Base Policy towards the additional cover/ benefit opted under the rider, if opted.

47. **Rider Sum Assured** is the assured amount payable on happening of a specified event covered under the rider, if opted.

48. **Schedule** is the part of policy document that gives the specific details of your policy.

49. **Simple Reversionary Bonus** is the surplus/profit added by the Corporation to 'with-profits' policies. It is declared per thousand Basic Sum Assured at the end of each financial year based on the Corporation's experience.

50. **Sum Assured on Death** is the assured amount payable on death during the policy term.

51. **Sum Assured on Maturity** is the absolute amount payable on maturity as mentioned in Condition 1 of Part C of this Policy Document.

52. **Surrender** means complete withdrawal / termination of the entire policy before maturity.

53. **Surrender Value** means an amount, if any, that becomes payable in case of surrender in accordance with the terms and condition of this policy.

54. **Tabular premium** is the premium for the chosen Basic Sum Assured based on the age of the Life Assured without application of any rebate or extra loading.

55. **Underwriting** is the term used to describe the process of assessing risk and ensuring that the cost of the cover is proportionate to the risks faced by the individual concerned. Based on underwriting, a decision on acceptance or rejection of cover as well as applicability of suitable premium or modified terms, if any, is taken.

56. **UIN** means the Unique Identification Number allotted to this plan by the IRDAI.

57. **Vested Bonus** is the reversionary bonus, if any, which has already been declared and remains attached to the policy.

58. **With Profits policies** means policies which are entitled for any share in surplus (profits) emerging during the term of the policy in accordance with the terms and conditions of the policy.

PART – C: BENEFITS

The following benefits are payable under this policy:

- Maturity Benefit:** On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity provided the policy is in force, Sum Assured on Maturity along with vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any, shall be payable. Where Sum Assured on Maturity is equal to Basic Sum Assured.
- Death Benefit:** On death of the Life Assured before the stipulated Date of Maturity provided the policy is in force, then Death Benefit, defined as sum of "Sum Assured on Death", vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any, shall be payable. Where, "Sum Assured on Death" is defined as higher

